कार्यालय : नगर आयुक्त
नगर निगम लखनऊ
पत्रांक : डी/187/न0आ0/प0आ0/21
दिनांक : 09 नवम्बर, 2021

सेवा में,

1. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
2. सचिव, आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेष
3. अपर जिलाधिकारी नगर, लखनऊ
4. प्रभागीय वन अधिकारी (DFO), वन विभाग
5. अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात), सदर, लखनऊ
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), परिवहन विभाग
7. उपायुक्त, जिला अद्योग एवं उद्यमी प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ
8. क्षेत्रीय अधिकारी, एन0एच0ए0आई0, लखनऊ
9. मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
10. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई विभाग, तेलीबाग, लखनऊ
11. जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ
12. जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ
13. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम/उ0प्र0 राज्यकीय निर्माण निगम,
14. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई/उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ
15. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
16. परियोजना अधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

विषय : नॉन अटैन्मेंट नगर लखनऊ में वायु प्रदूषण के दृष्टिगत चिन्हित हॉट स्पॉट पर वायु गुणता सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

कृपया लखनऊ नगर की परिवेषीय वायुगुणता में सुधार के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से की जा रही कार्यवाही के सतत पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं दोषी परियोजनाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों का अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किये जाने एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा नॉन अटैन्मेंट सिटी लखनऊ की वायु गुणता सुधार हेतु सम्बन्धित विभागों से कार्यवाही विवरण अंकित किया गया है। जिनको नगर में Implement कराकर वायु गुणता सुधार की दिशा में प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। जिसके क्रम में नगर के हॉट स्पॉट को चिन्हित कर Construction, Road dust, Unpaved road, Inaustrial sources, Vehicular Conjestion, Garbage burning, Parking spaces से उत्पन्न प्रदूषण स्त्रोतों से जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना है, जिससे नगर के प्रदूषण को कम किया जा सके। उक्त के दृष्टिगत सेन्सिटिव हॉट स्पॉट क्षेत्रों में वायु गुणता सुधार की दिषा में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी विभिन्न विभागों से सम्बन्धित निम्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवष्यकता पर बल दिया है जिससे वायु गुणता में सुधार लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके :–

1. लखनऊ नगर की वायुगुणता में प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक रोड डस्ट द्वारा जनित धूल के कण हैं, जिसको नगर के प्रमुख मार्गों पर अक्टूबर माह से दिसम्बर माह तक निरन्तर पानी का छिड़काव सुनिष्चित करते हुए Dust Suspension को नियंत्रित किया जाये।
2. **हॉट स्पॉट क्षेत्र के आस–पास निर्माण सम्बन्धी कार्यों को नियंत्रित किया जाये एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्थायें यथा ग्रीन मैटिंग इत्यादि के द्वारा कवरिंग एवं छिड़काव सुनिष्चित किया जायें।**

3. हॉट स्पॉट क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित बिल्डग निर्माण इकाइयों द्वारा कच्चे माल का सुरक्षित भण्डारण, माल वाहक वाहनों को कवर्ड कर परिवहन करने, ग्रीन नेट लगाने एवं वाटर स्प्रिंकलिग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
4. हॉट स्पॉट क्षेत्र के आस–पास ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये जिससे Traffic Conjestion की समस्या उत्पन्न न हो साथ ही ट्रैफिक हॉट स्पॉट्स में प्रभावी कार्यवाही करते हुए नो व्हीकल जोन घोषित किया जाये। नगर के प्रमुख चौराहों पर वाहनों के अवांछित हाल्टिंग समय को कम करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
5. हॉट स्पॉट क्षेत्र के अपनी–अपनी स्वामित्व की सड़कों के गड्ढों की मरम्मत व की Unpaved Roads की मरम्मत सुनिश्चित की जाये।
6. हॉट स्पॉट क्षेत्र के सड़कों के गहरी खुदाई के कार्य को इस प्रकार सुनिष्चित किया जाये जिससे Dust Suspension को नियंत्रित किया जा सके।
7. हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत अपने स्वामित्व वाले क्षेत्रों में Garbage Dumping/Garbage Burning को नियंत्रित किया जाये तथा वेट ब्रूमिंग तकनीक को अपनाया जाये, ताकि सफाई के दौरान डस्ट पॉल्यूशन जनित न हों साथ ही दोषियों के विरूद्ध आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाये। कूडा/कृषि अपशिष्ट जलाये जाने से सम्बन्धित घटनाओं पर नियंत्रण हेतु अग्निशमन विभाग से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्यवाही हेतु नगर निगम में स्थापित इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेटर का प्रयोग किया जा सकता है।
8. डस्ट ऐप के माध्यम से निर्माण परियोजनाओं में डस्ट कंट्रोल एवं निर्माण एवं विध्वन्स अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, वायु प्रदूषण के स्रोतों को चिन्हित कर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाये, वायु गुणता मॉनीटरिंग स्टेशन के इम्पैक्ट जोन में स्थानीय प्रदूषण स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण तथा ऐपीसोडिक वायु प्रदूषण का पूर्व आंकलन कर कार्यवाही की जाये, साथ ही दोषी निर्माण इकाइयों के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाये।
9. शीतकाल में सम्भावित स्मॉग के दौरान एवं अन्य एपिसोडिक एयर पाल्यूशन को चिन्हित करके कार्यवाही की जाये।
10. नगर में स्थित वायु गुणता अनुश्रवण केन्द्र एवं अन्य चिन्हित हॉट स्पॉट्स के एक किलोमीटर की परिधि में खाली स्थानों को चिन्हित कर फॉरेस्टेशन विकसित किये जायें।

अतः अनुरोध है कि लखनऊ शहर की वायु गुणता को प्रभावित करने वाले स्थानीय वायु प्रदूषण स्रोतों के सम्बन्ध में अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यवाही बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अजय कुमार द्विवेदी)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

(अजय कुमार द्विवेदी)
नगर आयुक्त